

कार्यालय सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग जिला शिवपुरी

दूरभाष. क्रमांक- 07492-233640

ईमेल- pswshi@mp.nic.in

क्रमांक./स्था/2023/1383

शिवपुरी दिनांक २९-०८-२३

विज्ञापि

म.प्र. शासन उप सचिव सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक/2475/1306216/23/26-2 दिनांक 23-08-2023 द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के समग्र एवं स्थाई पुनर्वास तथा सेवाओं के प्रदाय हेतु जिला पुनर्वास केन्द्र हेतु आवश्यक सैटअप पदों की मानदेय/ संविदागत नियुक्ति के लिए निम्नलिखित पदों की पूर्ती हेतु पात्र आवेदकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवश्यक अर्हता/ योग्यता शिवपुरी एवं जिले की एन.आई.सी. द्वारा विकसित वेबसाईट www.shivpuri.nic.in अथवा सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग शिवपुरी तथा कार्यालय कलेक्टर जिला शिवपुरी के नोटिस बोर्ड पर भी अवलोकन किया जा सकता है.

रिक्त पदों का विवरण आवश्यक अर्हता/ योग्यता एवं निर्धारित मानदेय निम्नानुसार है।


| क्र. | पदनाम | पदों की संख्या | पद हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं | मानदेय प्रतिमाह |
|------|---|----------------|--|-----------------|
| 1 | क्लीनिकल मनोचिकित्सक/ पुनर्वास मनोचिकित्सक | 01 | <u>क्लीनिकल मनोचिकित्सक</u> क. क्लीनिकल मनोचिकित्सक में एम.फिल. ख. क्लीनिकल मनोचिकित्सक में व्यावसायिक डिप्लोमा पुनर्वास मनोचिकित्सक क. पुनर्वास मनोचिकित्सक में एम.फिल. ख. पुनर्वास मनोचिकित्सक में ग्रेजुएट पोस्ट डिप्लोमा(PGDRP) | 20,500/- |
| 2 | हियरिंग असिस्टेंट जूनियर स्पीच थेरापिस्ट(ईयर माल्ट टेक्नशियन) | 01 | श्रवण यंत्रों की जानकारी मरम्मत/कर्णमोल्ड बाने के साथ वाक एवं श्रवण में डिप्लोमा/ स्पीचएंड हियरिंग तकनीशियन पात्रता हियरिंग लैंग्वेज और स्पीच में डिप्लोमा(DHLS)/ ईयर,मोल्ड तकनीशियन पात्रता हियरिंग एवं रिपेयर और प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा(DHAREMT)। | 16,000/- |
| 3 | मोबिलिटी इन्ट्रक्टर | 01 | दसबी+गतिशीलता में प्रमाण पत्र/ डिप्लोमापात्रता:अधिमानत गतिशीलता विज्ञान में स्नातक(BMSC)या दृष्टि बाधिता में डी.एड. विशेष शिक्षा/ वी.एड. विशेष शिक्षा। | 14,500/- |
| 4 | मल्टीपरपज रिहैबिलिटेशन वर्कर | 01 | बहु उदेश्यीय पुनर्वास कार्यकर्ता पात्रता समुदाय आधारित पुनर्वास (PGDCBR) में पोस्ट ग्रेजुएट/समुदाय आधारित पुनर्वास (DCBR)/ समुदाय आधारित सामावेशी विकास(CBID)/ एम.आर.डब्ल्यू. में डिप्लोमा। | 14,500/- |
| 5 | वोकेशनल काउंसलर कम कम्प्यूटर असिस्टेंट | 01 | व्यावसायिक पुनर्वास में डिप्लोमा (DVR)/ बाल मार्गदर्शन और परामर्श में एडवांस्ड डिप्लोमा (ADCGC)/ पुनर्वास विज्ञान में स्नातक। | 14,500/- |
| 6 | ट्रान्स डिसिप्लिनरी स्पेशल एडुकेटर(MR) | 01 | दो पक्षों के लिए पात्रता: (01) श्रवणबाधिता में (DEDSE/ BEDSE) (02) BI /IED/ CP /ASD/ MD /DB/ SLD में DEESE /BESE | 16,000/- |

| | | | | |
|---|--------------------------|----|--|---------------------------------------|
| 7 | एडमिनिस्ट्रेटिव आफीसर | 01 | स्नातकोत्तर एवं दिव्यांगता के क्षेत्र में 05 वर्ष का अनुभव | 18,000/- |
| 8 | चौकीदार | 01 | 8वीं पास | कलेक्टर दर पर (अकुशल श्रमिक) |

नियुक्ति हेतु आवश्यक शर्त:-

- 1- उपरोक्त सभी 08 पद एकांकी होने से आरक्षण प्रावधान से मुक्त होंगे।
- 2- प्राथमिकता के आधार पर स्थानीय संसाधनों के माध्यम से जहां तक संभव है कार्यान्वयन एजेन्सी / डी.एम.टी.द्वारा मानदेय/सर्विदागत आधार पर स्टाफ को नियुक्त किया जाना है:-
अ - मानदेय आधार पर कार्यरत सरकारी /जिला अस्पतालों के मौजूदा पेशेवर।
ब. टोकन मानदेय के भुगतान पर कार्यरत सरकारी/जिला अस्पतालों के मौजूदा पेशेवर।
स. पूर्णतः संविदात्मक आधार पर कार्यरत पेशेवर और अन्य।
- 3 - सभी पद शासन द्वारा निश्चित मानदेय पर स्वीकृत हुए हैं उक्त पद पर चयनित उम्मीदवार का भविष्य में नियमित करण किए जाने हेतु कोई भी दावा /वाद विवाद स्वीकार एवं मान योग्य नहीं होगा।
- 4- नियुक्ति पूर्णतः संविदा पर एक वर्ष के लिए रहेगी। किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह के पूर्व नोटिस पर किसी भी समय सेवार्थ समाप्त की जा सकती है। एक वर्ष के पश्चात सेवारं सतोषप्रद पाये जाने पर ही पुनः सेवा में वृद्धि की जा सकेगी।
- 5- चयनित उम्मीदवार का नियुक्ति के पूर्व पुलिस विभाग से चरित्र सत्यापन एवं मेडिकल करवाया जावेगा। अनुकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर ही नियुक्ति आदेश जारी किया जावेगा।
- 6- उम्मीदवार का चयन मेरिट/काउंसिलिंग /साक्षात्कार जैसी भी स्थिति होगी नियुक्ति कर्ता अधिकारी द्वारा तय की जावेगी। जिसके संबंध में कोई वाद विवादमान्य नहीं किया जावेगा।
- 7- निर्धारित योग्यता से कम योग्यता/ आवेदन की शर्तें पूर्ण नहीं करने अथवा आवेदन समय पर प्राप्त न होने की स्थिति में आवेदन पत्र स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। जिसके संबंध में पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी।
- 8- आयु न्यूनतम एवं अधिकतम शासन नियमानुसार पात्र उम्मीदवार को आयु शिथिलता की पात्रता होगी।
- 9- आवेदक को पात्र पाये जाने पर आवश्यकता अनुसार साक्षात्कार / काउंसिलिंग की सूचना उसके आवेदन पत्र में दर्शाये गये वर्तमान पत्र व्यवहार के पते पर दी जावेगी।
- 10- आवेदक को आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर आवेदित पदनाम का उल्लेख अवश्य करे।
- 11- न्यूनतम एवं अधिकतम आयु की गणना रिक्त पदों की विज्ञप्ति होने के कलेंडर वर्ष 01 जनवरी 2023 के संदर्भ में की जावेगी।
- 12- विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय कलेक्टर जिला शिवपुरी का ही मान्य होगा।
- 13- यदि कोई अभ्यर्थी विज्ञप्ति पदों में से एक से अधिक पदों के लिए आवेदन प्रस्तुत करना चाहता है तो वह ऐसे पद के लिए प्रथक-प्रथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करने होंगे। एक आवेदन पत्र पर एक ही पद के लिए स्वीकार होगा।
- 14- जो आवेदक पूर्व से नियोजित हैं उन्हें आवेदन पत्र के साथ अपने नियोजक का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।
- 15- आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए गये सभी प्रमाण पत्रों/ अभिलेखों की छाया प्रति स्वयं के द्वारा प्रमाणित होना आवश्यक है।

- 16- उक्त पदों में चयनित प्रतिभागियों (तकनीकी) अनुक्रमांक एक से आठ तक को जिला दिव्यांग एवं पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 को भारतीय पुनर्वास परिषद (आर.सी.आई.) में पंजीपद्ध होना आवश्यक है।
- 17- योग्य पुनर्वास पेशेवर कुछ समय के लिए उपलब्ध नहीं होने पर डी.एम.टी. कम योग्यता वाले व्यक्तियों की भर्ती कर सकती है जबकि ऐसे पेशेवर उपलब्ध न हो जाए तथापि तकनीकी श्रम शक्ति के स्थान पर गैर तकनीकी व्यक्तियों की नियुक्ति नहीं की जावेगी।
- 18- अन्तिम तिथि दिनांक 15-09-2023 को सांय 05:30 बजे पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
- 19- आवेदन पत्र जिला कार्यलय सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण जिला शिवपुरी म.प्र. के पते पर सीधे जमा अथवा डाक द्वारा प्रेषित किए जा सकते हैं।



(बिजेन्द्र सिंह यादव)

डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी उपसंचालक
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण
जिला शिवपुरी
शिवपुरी दिनांक 29-09-23

पृष्ठांकन/स्था./2023/1384

प्रतिलिपि-

- 1- आयुक्त सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- 2- आयुक्त (विज्ञापन) जनसम्पर्क कार्यालय संचालनालय म.प्र.वाणगंगा रोड भोपाल कृपया उक्त सूचना एवं संलग्न आवेदन का प्रारूप नियमानुसार प्रमुख समाचार पत्रों प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
- 3- जनसम्पर्क अधिकारी जिला शिवपुरी की ओर सादर सूचनार्थ।
- 4- जिला अधिकारी राष्ट्रीय सूचना केन्द्र शिवपुरी को जिले की एन.आई.सी.द्वारा विकसित वेबसाइट www.shivpuri.nic.in पर विज्ञापन एवं आवेदन का निर्धारित प्रारूप अपलोड करने हेतु प्रेषित।


डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी उपसंचालक
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण
जिला शिवपुरी